

**राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)**

क्रमांक प012(2) राज/वाद/19

जयपुर दिनांक: 04.02.2021

**समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/जिला कलक्टर/
विभागाध्यक्ष।**

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ:- विधि विभाग के पूर्व परिपत्र क्रमांक प.15(24)राज/वाद/91 दिनांक 05.06.95, प.15(11)राज/वाद/2000 दिनांक 07.04.2001 एवं प.9(4) राज/वाद/88 पार्ट दिनांक 21.08.2009।

::परिपत्र::

राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में दायर की गयी रिट याचिका व डी.बी. स्पेशल अपील एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गयी विशेष अनुमति याचिकाओं में राज्य सरकार एक प्रमुख पक्षकार है। उक्त डी.बी. स्पेशल अपील एवं विशेष अनुमति याचिकाओं में प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा में दायर करने की कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो पाने के कारण प्रायः यह देखने में आया है कि माननीय न्यायालयों द्वारा राज्य सरकार की अपीलों को विलम्ब के आधार पर ही निरस्त कर दी जाती है एवं प्रकरण गुणावगुण के आधार पर निर्णित नहीं हो पाता है, जिससे राज्य सरकार की छवि खराब होने के साथ-साथ राज्य सरकार को आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है।

विलम्ब के आधार पर निरस्त की गयी राज्य सरकार की अपीलों में पारित आदेश/निर्णय भविष्य में न्यायालय के समक्ष दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। जिसके कारण राज्य सरकार को विधिक दृष्टि से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस.एल.पी. नम्बर 19064/2020 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम राजश्री में दिनांक 07.01.2021 को आदेश पारित कर राज्य सरकार की अपील को 623 दिन देरी से प्रस्तुत करने के कारण विलम्ब के आधार पर खारिज कर 25,000/-रुपये की शास्ति आरोपित कर सर्वोच्च न्यायालय कर्मचारी कल्याण कोष में जमा कराने के आदेश पारित किया है और साथ ही यह निर्देश दिए हैं कि उक्त शास्ति राशि उत्तरदायी अधिकारियों से वसूल कर उक्त शास्ति राशि को चार सप्ताह में जमा कराकर प्रमाण-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आदेश की पालना निर्धारित समयावधि में नहीं की जाती है तो मुख्य सचिव के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

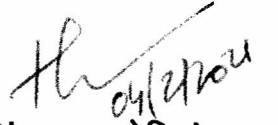
अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए समस्त प्रशासनिक विभागों को निर्देशित किया जाता है कि उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध डी.बी. स्पेशल अपील एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में एस.एल.पी. दायर करते समय विधि के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय सीमा में ही अपील दायर करना सुनिश्चित किया जावे। इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पालना/अपील निर्धारित समय सीमा में हो सके, ताकि राज्य सरकार को विधिक एवं आर्थिक दृष्टि से कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

- ६० -

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर को उनके अ.शा.टीप/डी.एस./ एल. /सीएस/जनरल/प्रा. एवं मा. सी./2012/पार्ट/18031 दिनांक 22.01.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. निजी सचिव, विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड/पैनल लॉयर, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
4. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर/जयपुर।
6. समस्त अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त गवर्नमेंट कौंसिल/एडिशनल गवर्नमेंट कौंसिल/डिप्टी गवर्नमेंट कौंसिल/असिस्टेंट गवर्नमेंट कौंसिल, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक, राजस्थान।
9. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, विधि विभाग।
10. प्रशासक वादकरण, जयपुर/जोधपुर।
11. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।


(हुकम सिंह राजपुरोहित)
शासन सचिव, विधि